



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022024-252438  
CG-DL-E-27022024-252438

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 881]  
No. 881]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2024/फाल्गुन 8, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2024/PHALGUNA 8, 1945

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2024

का.आ. 923(अ).—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 और उसके साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय एतद्वारा केमइंडिया वेबपोर्टल (<https://chemindia.chemicals.gov.in/>) पर अनिवार्य रूप से रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र से संबंधित उत्पादन, स्थापित क्षमता, निर्यात, आयात, बिक्री और अन्य संबंधित डेटा सहित विभिन्न पहलुओं पर रसायनों और पेट्रोरसायनों के आंकड़ों के अनिवार्य रूप से संग्रह का निर्देश देता है। उत्पादन मात्रा, स्थापित क्षमता, आयात, निर्यात और बिक्री और अन्य प्रासंगिक डेटा के संबंध में रासायनिक और पेट्रोरसायनिक डेटा की एक व्यापक और प्रमाणिक सूची तैयार के लिए देश में रासायनिक और पेट्रोरसायनिक पंजीकृत उद्योगों/इकाइयों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वार्षिक के साथ-साथ मासिक आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। यह "केमइंडिया वेबपोर्टल" पंजीकृत रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योगों/इकाइयों से प्राप्त वास्तविक समय के डेटा के संग्रह, संकलन और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करेगा। ये आंकड़े औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के मासिक सूचकांक के संकलन के लिए प्रासंगिक होंगे, जिसे रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय को मासिक आईआईपी तैयार करने के लिए उपलब्ध

कराया जाएगा। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के पास उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग वार्षिक प्रकाशन "रासायनिक और पेट्रोरसायनिक सांख्यिकी एक दृष्टि में" की तैयारी, विश्लेषण और निगरानी के उद्देश्य से किया जाएगा। यह जानकारी विभिन्न संसदीय समितियों, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और इष्टतम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के काम आएगी। डेटा जमा करना अनुसूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार होगा।

2. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग उपरोक्त निर्देश के संदर्भ में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित व्यक्ति और अपने कार्यालय में नियुक्त पदाधिकारी को सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:

सांख्यिकी अधिकारी	पता (ई-मेल सहित)
उप महानिदेशक (सांख्यिकी एवं निगरानी प्रभाग)  वर्तमान में श्री गंगा कुमार	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कमरा सं. 419, 'सी'-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001 दूरभाष : 23387761 (ओ) ईमेल- kumar.ganga@nic.in

3. सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में, अधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन और प्रासंगिक अभिलेखों का निरीक्षण करने और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगने का कार्य सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति एक फोटो पहचान पत्र या सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।

4. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के उप महानिदेशक (सांख्यिकी और निगरानी प्रभाग) के कार्यालय में उपरोक्त निर्देश के संदर्भ में एकत्र किए गए आँकड़ों का सत्यापन और जांच किया जाएगा। ये आँकड़े औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के मासिक सूचकांक के संकलन के लिए प्रासंगिक होंगे, जिसे रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय को मासिक आईआईपी तैयार करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के पास उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग वार्षिक प्रकाशन "रासायनिक और पेट्रोरसायनिक सांख्यिकी एक दृष्टि में" की तैयारी, विश्लेषण और निगरानी के उद्देश्य से किया जाएगा।

5. उपरोक्त निर्देशों के संबंध में किसी भी गतिविधि में शामिल सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। अधिनियम की धारा 4 के उप-धाराओं (4) या (6) के तहत किसी अन्य सांख्यिकी अधिकारी को कोई शक्ति नहीं सौंपी गई है।

### अनुसूची

#### आँकड़ों के संग्रह का विषय और उद्देश्य:

1. रासायनिक क्षेत्र से संबंधित उत्पादन, स्थापित क्षमता, आयात, निर्यात, बिक्री और अन्य संबंधित डेटा वाले आंकड़े औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रत्येक माह एकत्र किए जाएंगे, जिसका उपयोग रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में नीति और पर्यवेक्षण संबंधी उद्देश्यों के लिए और इस विभाग के नियमित सांख्यिकीय प्रकाशन के लिए किया जाएगा।

#### आँकड़ों के संग्रह के लिए भौगोलिक क्षेत्र:

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत सम्पूर्ण भारत में आँकड़े एकत्रित किये जाएंगे।

#### डेटा संग्रह की विधि:

3. सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस के अनुसार, सूचनादाताओं को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक डेटा ऑनलाइन भेजना होगा। सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जिन्हें वह नोटिस में निर्दिष्ट कर सकता है, सूचनादाता को अन्य प्रारूप में निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

**सूचनादाता की प्रकृति, जिनसे डेटा एकत्र किया जा सकता है:**

4. किसी पंजीकृत इकाई के मालिक या प्रबंधक, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, उसे अपने प्रतिष्ठान के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

**ऑकड़ों का संग्रह पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि:**

5. नोटिस में किए गए उल्लेख के अनुसार, प्रत्येक सूचनादाता को प्रत्येक कैलेंडर माह की जानकारी अगले कैलेंडर माह के 10वें दिन या उससे पहले भेजनी होगी।

**संदर्भ अवधि:**

6. प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए सूचना अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी है।

**एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति:**

7. रासायनिक क्षेत्र से संबंधित उत्पादन (मात्रा और मूल्य), आयात, निर्यात, स्थापित क्षमता, बिक्री और अन्य संबंधित डेटा का मासिक डेटा सूचनादाताओं से एकत्र किया जाएगा।

**सूचनादाता द्वारा दी जाने वाली सूचना की भाषा:**

8. प्रत्येक सूचनादाता को अंग्रेजी में निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

**सूचनादाता का दायित्व:**

9. किसी इकाई के मालिक या प्रबंधक को सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित निर्धारित तरीके से और प्रत्येक माह निर्धारित तिथि तक सूचना देनी होगी। उसे निरीक्षण के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना होगा और मांगी गई जानकारी के संबंध में, जैसा भी सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाएगा, प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

**निरीक्षण किए जाने वाले व्यावसायिक रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड की प्रकृति:**

10. किसी इकाई के व्यावसायिक रिकॉर्ड, इकाई द्वारा दी गई जानकारी के समर्थन में किसी अन्य कानूनी दस्तावेज का सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

**निरीक्षण का तरीका:**

11. सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति इकाई के व्यावसायिक रिकॉर्ड के आधार पर इकाइयों द्वारा दी गई सूचना को सत्यापित कर सकता है और संबंधित मालिक या प्रबंधक या इकाई के प्रबंधन द्वारा अधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

[फा. सं. 25019/17/2017- एस एंड एम (पार्ट)]

गंगा कुमार, उप महानिदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**

**(Department of Chemicals and Petrochemicals)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2024

**S.O. 923(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers hereby directs collection of statistics on chemicals and petrochemicals on various facets including but not limited to production, installed capacity, export, import, sales and other related data of chemical and petrochemical sector mandatorily on ChemIndia Webportal (<https://chemindia.chemicals.gov.in/>). The statistics shall be collected through on-line portal from the chemical and petrochemical registered industries/units in the country on annual as well as on monthly basis in order to create a

comprehensive and authentic inventory of the chemical and petrochemicals data in respect of Production Quantity, Installed Capacity, Import, Export and Sales and other data incidental thereto. This “ChemIndia Webportal” shall facilitate collection, compilation, and analysis of real time data, received from the registered Chemicals and Petrochemicals Industries/units. The statistics shall be relevant for compilation of monthly Index of Industrial Production (IIP) would then be made available by Department of Chemicals and Petrochemicals to the Office of the Economic Statistics Division, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation for generation of monthly IIP. The statistics available with Department of Chemicals and Petrochemicals will be used for preparation of annual publication “Chemical and Petrochemical Statistics at a Glance” and for analysis and monitoring purpose. This information shall serve various parliamentary affairs committees, annual report of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers and supports policymakers and researchers in formulating policies to encourage best practices and foster optimal industrial development. The submission of data shall be as per the details mentioned in the Schedule.

2. The Department of Chemicals and Petrochemicals further appoints the person as also its assignee in office, mentioned in the table below, as a Statistics Officer with reference to the aforesaid direction:

**TABLE**

<b>Statistics Officer</b>	<b>Address (with e-mail)</b>
Deputy Director General (Statistics and Monitoring Division)  Presently Shri Ganga Kumar	Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Room No. 419, ‘C’-Wing , Shastri Bhawan , New Delhi-110001 Tele: 23387761 (O), E-mail ID: kumar.ganga@nic.in

3. The persons authorised by the Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each authorised person would carry a photo identity card or letter of authorisation issued by the Statistics Officer.

4. The statistics collected with reference to the aforesaid direction will be verified and scrutinized at the Office of the Deputy Director General (Statistics and Monitoring (S&M) Division), Department of Chemicals and Petrochemicals. The statistics shall be relevant for compilation of monthly Index of Industrial Production would then be made available by Department of Chemicals and Petrochemicals to the Office of the Economic Statistics Division, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation for generation of monthly Index of Industrial Production. The statistics available with Department of Chemicals and Petrochemicals will be used for preparation of annual publication “Chemical and Petrochemical Statistics at a Glance” and for analysis and monitoring purpose.

5. All persons engaged in any activity in respect of the aforesaid directions are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011. No power has been delegated to any other Statistics Officer under sub-sections (4) or (6) of Section 4 of the Act.

#### **SCHEDULE**

##### **Subject and purpose for collection of statistics:**

1. Statistics relating to production, installed capacity, import, export, sales and other related data of chemical sector would be collected through on-line for generation of Index of Industrial Production every month, use for policy and supervision purposes in Department of Chemicals and Petrochemicals, and for the regular statistical publication of Department of Chemicals and Petrochemicals.

##### **Geographical area for collection of statistics:**

2. The statistics would be collected in the whole of India under the Collection of Statistics Act, 2008.

##### **Method of data collection:**

3. Informants would be required to send the required data in the prescribed format through online as per the notice issued by the Statistics Officer to informants under his jurisdiction. Statistics Officer may permit informant to furnish the prescribed information in other form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

##### **Nature of informants from whom data may be collected:**

4. The owner or manager of a registered unit who would be issued notice by the Statistics Officer shall furnish the required information about his establishment.

##### **Period during which collection of statistics may be completed:**

5. The information for every calendar month would be required to be sent on or before the 10th day of the following calendar month by each informant as mentioned in the notice.

**Reference period:**

6. Information is required to be furnished for each calendar month, without fail.

**Nature of information to be collected:**

7. The monthly data on production (quantity and value), import, export, installed capacity, sales and other related data of chemical sector would be collected from the informants.

**Language in which information is to be furnished by informant:**

8. Every informant shall furnish information in the prescribed format in English.

**Obligation of informant:**

9. An owner or manager of a unit shall furnish information in the prescribed manner and by stipulated date every month as mentioned in the notice received by him from the Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

**Nature of business records and other records which may be inspected:**

10. Business records of a unit, any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorised by him.

**The manner of inspection:**

11. The Statistics Officer or a person authorised by him may verify the information furnished by the units on the basis of business records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or manager or a person authorised by the management of unit.

[F. No. 25019/17/2017- S&M (Pt.)]

GANGA KUMAR, Dy. Director General